

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग— समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष— संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ		क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
			2015-16			
1	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	262800		20000 परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता हितग्राही- 14000	
2	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 300 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले के लिए रूपये 600 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1895500		60-79 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के 640000 हितग्राहियों को रु. 300/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान हितग्राही 73000। इसमें रूपये 100 राज्यांश समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से देय होता है।	
3	विकलांगों तथा अंपंगों की सहायता के लिए योजना	(अ) छात्रवृत्तियाँ - निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	5000		11000 विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय करना। (प्राथमिक स्तर रु. 50, माध्यमिक स्तर रु 60, उच्च स्तर रु 70, स्नातक स्तर रु 125 एवं स्नातकात्तर स्तर रु 170 प्रति छात्र प्रतिमाह।	
		(ब) स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान -निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था			✓ कुल 20 संस्थाओं को अनुदान देने का लक्ष्य है।	
		(स) निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रूपये			✓ भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रु. 2000/-	
					✓ अंतवासी के भरण-पोषध हेतु रु. 600/- प्रति अंतवासी प्रतिमाह	
					✓ कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग— समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष— संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
		21000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना		प्रतिवर्ष 250 निःशक्त व्यक्तियों को रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	
		(द) योजना अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना		250 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना।	
4	विश्व विकलांग दिवस	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ सर्वोत्तम निःशक्त व्यक्ति 500/- ✓ सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) ✓ सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- ✓ सर्वोत्तम जिला-शिल्ड 	
5	छ.ग.किशोर न्याय अधि. के अंतर्गत संस्थाएं	किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना	42315	100 अंतःवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य राज्य में 2 किशोर न्याय अधिनियम संचालित संस्थाएं हैं।	
6	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु (प्रति किशोर 10000/-) आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।	
7	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत छ.ग. के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एकबार चयनित तीर्थ यात्रा सुलभ कराना।	450000	80 प्रतिशत कितग्राही बी.पी.एल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो।	
8	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	18140	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1390 कृत्रिम अंग उपकरण (हील चेयर, ट्रायसकल का वितरण) ✓ 4103 सामाजिक सुरक्षा पेशन (निःशक्त) 	

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
9	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 875 छात्रवृत्ति (निःशक्त) ✓ स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभंवित करना। 2. प्रदेश के भिक्षुओं का पुनर्वास 3. विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवास 	
10	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	14000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान। ✓ अतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह ✓ भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 ✓ कर्मचारियों का वेतन/मानदेय 	
11	अशासकीय संस्थाओं को अंग अनुदान (कृत्रिम अंग उपकरण)	निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय किये जाते हैं।	3000	1500 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना	
12	प्रमस्तिष्ठक अंगाधात निःशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्ठक अंगाधात के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं	4460	सेलेब्रल पाल्सी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी।	
13	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए दंतेवाड़ा तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुरए राजनांदगांवए कोरियाए महासमुन्द,	136137		

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ		क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
			2015-16			
		कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।			450 बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	
14	अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएँ (भवन निर्माण)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	2500		बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण	
15	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	19900		500 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
16	अंधमूक बधिरों को वृत्तियाँ	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	3800		3000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	
17	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रु. 300/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	487240		40 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाली 130000 हितग्राहियों विधवा महिलाओं को 300/-प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	
18	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रु. 300/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	140960		18 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाले 30000 गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को 300/-प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	
19	फिजिकल रिफरेल रिहबलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	8435		500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।	
20	उद्धान सब्सिडी योजना	निःशक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400		100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है।	
21	जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ एवं संसाधन उपलब्ध कराना	12700		09 जिला निःशक्त केन्द्र स्थापित	

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग— समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष— संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
22	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेंगे।	4000	1. छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन 2. राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण। 3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय 4. छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
23	बुजुर्गों को संरक्षण	बुजुर्गों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढ़ीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों की स्थापना	5500	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है।	
24	निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबंध याजना	निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	10000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है।	